दिनांक 14 व 15 मई 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक– 424/110/तीन/97–VI, दिनांक 08.05.2015 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। जिन जनपदों द्वारा निर्धारित तिथि तक मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो ऐसे जनपदों की सूची प्रस्तुत की जाय।

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया किसी भी सूचना के ई–मेल प्रेषण में विषय एवं जनपद का नाम जरूर अंकित किया जाय।

(कार्यवाही सूडा/समस्त डूडा)

- माह अप्रैल, 2015 की मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कई जनपदों द्वारा कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या सूडा को प्रेषित नहीं की गयी है, जो उचित नहीं है। जब कि सूडा स्तर से प्रेषित किये जाने वाले एजेण्डे में यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर सूडा को अवश्य प्रेषित कर दी जाये। जनपदों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में अनुपालन आख्या समय से प्रेषित की जाये तथा मासिक समीक्षा बैठक में इसकी एक प्रति भी अवश्य लेकर आयें।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत जनपद अमेठी के निकाय मुसाफिरखाना की संशोधित डी0पी0आर0 अभी तक प्रेषित नहीं की गयी है। जनपद एवं संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि तत्काल संशोधित डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाय। जनपद गौतमबुद्ध नगर के निकाय दादरी एवं जेवर की आई0एच0एस0डी0पी0 की संशोधित डी0पी0आर0 work done/ work to be done के आधार पर पर नहीं है। जनपद एवं संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल work done/ work to be done के आधार पर डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

  समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिशचित् करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में

योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले माह से प्रत्येक दशा में माह की 05 तारीख तक **एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें** अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

- संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि **बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0** योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यो की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को अवश्य प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही सूडा/ संबंधित डूडा)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना की परियोजनावार प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित की गई समय सारिणी/वर्क प्लान के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें।

- समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यो की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को अवश्य प्रेषित किया जाये।
- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुनर्वृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो।

(कार्यवाही –सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 23786 आवासों के सापेक्ष 7464 पर कार्य प्रारम्भ है। प्रारम्भ आवासों के सापेक्ष मात्र 3230 आवास ही पूर्ण है (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) एवं शेष विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रारम्भ आवासों का प्रतिशत 31.37 प्रतिशत है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुय बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- **कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि आवासों का निर्माण ब्लाकवार पूर्ण किया जाय तथा पात्र लाभार्थियों को आवंटन भी किया जाये जिससे वे स्वयं भी निर्माण की गुणवत्ता के समय–समय पर आकलन कर सकें।**

- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त संबंध में जनपदों के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इन–सीटू आवासों की परियोजनाए तैयार करने हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, इस संबंध में जनपद अलीगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, देवरिया, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, गोण्डा, बहराइच, फैजबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, उन्नाव, लखीमपुर–खीरी, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, जौनपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत इन–सीटू आवासों के निमार्ण हेतु काफी समय पूर्व में कार्यदायी संस्था को पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जा चुी है एवं इस संबंध में गत बैठक में भी अवगत कराया गया था। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक डी0पी0आर0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। डी0पी0आर0 उपलब्ध न कराये जाने पर बैठक में असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र समस्त डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें, जिससे मूल्यवृद्धि से बचा जा सके।

  आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। इस शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 में निर्देश दिये गये है कि योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा यथा आवश्यकता अवस्थापना कार्य हेतु प्रति आवास लागत की 25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि इसी योजना के बजट से स्वीकृत की जायेगी। अतः पूर्व स्वीकृत परियोजनओं में अवस्थापना कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा अभी तक पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अवस्थापना कार्य हेतु जनपद रामपुर को छोड़कर कोई भी डी0पी0आर0 उपलब्ध न कराया जाना बैठक में संज्ञान में लाया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि से असंतोष व्यक्त करते हुये पुनः निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अवस्थापना कार्यों की डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- बैठक में विभिन्न जनपदों की आसरा योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी एवं प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि समस्त परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की तथा कार्य समाप्ति की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न करें तथा इसे सूडा को भी प्रेषित करें।
- इन–सीटू परियोजना के अंतर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि परियोजना सम्पूर्ण बस्ती को लेकर तैयार की गयी है। इन–सीटू परियोजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण करने से पूर्व लाभार्थी से भू–स्वामित्व का प्रासंगिक प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा राजस्व अधिकारियों से भी समय–समय पर सत्यापन कराया जाय, तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों।

(संबंधित सूडा/कार्यदायी संस्था)

➢ समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यो की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का

निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुनावृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही –सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

योजना की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि अभिकरण मुख्यालय स्तर से दिनांक 19.05.2015 की तिथि में प्रदेश से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के सागरत संस्करणों में एक विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें यह उल्लिखित होगा कि "प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निजी स्वामित्व रिक्शा चालकों को निःशुल्क मोटर/बैटरी चालित रिक्शा प्रदान किए जाने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना संचालित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदेश के समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय तथा सम्बन्धित नगर निकाय कार्यालय पर उपलब्ध है। योजनान्तर्गत आवेदक की पात्रता हेतु प्रमुख मानक निम्नवत निर्धारित हैं:–

1. निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालक ही योजना हेतु पात्र होंगे।

2. ऐसे रिक्शा चालक को सम्बन्धित जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में सुनिश्चित तिथि कट–आफ–डेट 30.11.2014 तक औपचारिक रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

3. आवेदक को प्रदेश के सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र का मूल रूप से निवासी होना वांछनीय है।

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार जिन पात्र व्यक्तियों ने आवेदन किया था उनके सत्यापनोपरान्त पात्र लाभार्थियों की सूची डूडा में बना ली गयी है जो वहाँ अवलोकनार्थ उपलब्ध है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें एक अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। आवेदक दिनांक 29.5.2015 तक निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जनपदीय डूडा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप सम्बन्धित डूडा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं/सूडा की वेब–साइट www.sudaup.org पर भी फार्म उपलब्ध है।"

- उक्त के कम में समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि उक्त विज्ञापन में उल्लिखित बिन्दु का व्यक्तिगत संज्ञान लेकर समयबद्ध अनुपालन किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

- शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल इस योजना के कियान्वयन में सर्वोच्च प्राथमिकता बरतते हुए अभिकरण मुख्यालय से समय–समय पर पूर्व निर्गत दिशानिर्देश का अनुपालन किया जाय। पात्र लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता एवं नियमबद्धता अपेक्षित है। पूर्व में भी अभिकरण मुख्यालय से यह निर्देशित किया गया था कि परियोजना अधिकारी डूडा अपने जनपद से संबंधित लाभार्थी सूची का जनपद स्तर पर समस्त नगर निकायों के सक्षम

अधिकारी से समन्वय कर परीक्षण करालें ताकि किसी प्रकार की विसंगति न रह जाये। उक्त के क्रम में पुनः निर्देशित है कि लाभार्थी सूची का गहन परीक्षण कर लें। शासनादेश संख्या–35 दिनांक 24.01.2013 में उल्लिखित पात्रता बिन्दुओं तथा आवेदन पत्र प्रारूप एवं घोषणा पत्र सर्वथा अपरिहार्य है।

शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक शिथिलता संज्ञान में आने पर व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

- नवीनतम विस्तारित कट–ऑफ–डेट (30.11.2014) की लाभार्थियों की सूची समस्त जनपदों से तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व में निर्देश दिये गये थे। समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी भी जनपद ने अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की है। शासन की इस प्राथमिकतापरक योजना की महत्ता के दृष्टिगत समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 10 दिन के अन्दर वांछित लाभार्थी सूची अभिकरण मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

- समीक्षा के दौरान जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि उपलब्ध करायी जाने वाली लाभार्थियों की सूची में **अनुसूचित जाति तथा अल्प संख्यकों का भी वर्गीकरण भी प्रस्तुत करें**, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि **जिन जनपदों के द्वारा लाभार्थियों की सूचना शून्य सूचित है, उन्हें यह निर्देश दिये गये कि वह सक्षम स्तर के अधिकारी के स्तर से इस संबंध में औपचारिक घोषणा पत्र प्रेषित करें।**

<u>रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना</u>

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। विगत मासिक समीक्षा बैठकों में दिये गये सतत् निर्देश के बाद भी किसी भी जनपद से अपेक्षित जानकारी प्राप्त न होने के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा संज्ञान करते हुय यह निर्देशित किया गया कि उक्त जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु समस्त परियोजना अधिकारियों के द्वारा आच्छादित (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने हेतु समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये। अपेक्षित जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005</u>

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें एवं संबधित शहरों के स्लमों में स्लम सर्वे प्रोफाइल (Annuxure-I) को सर्वेक्षित करते हुए ऑनलाइन डेटाफिडिंग हेतु अपट्रान के प्रतिनिधि को उपलब्ध करायें परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी।

श्री अजीत कुमार, नोडल आफिसर (स्लम सर्वे) एन0बी0ओ0, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों/सहा0परि0 अधिकारियों को मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्लम सर्वे प्रोफाइल (Annuxure-I) को उपयुक्त रूप से भरे जाने एवं उसकी उपयोगिता से अवगत कराया गया है। इस संबंध में समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में स्लम सर्वे प्रोफाइल (Annuxure-I) सर्वेक्षित कर नहीं भरा गया है, वे जनपद तत्काल अपने शहरों में स्लम सर्वे प्रोफाइल (Annuxure-I) को सर्वेक्षित करते हुए उसकी हार्डकापी ऑनलाइन डेटाफिडिंग हेतु अपट्रान के प्रतिनिधि को उपलब्ध करायें। जिन शहरों में योजनान्तर्गत सर्वे का कार्य नहीं हुआ है उन शहरों में स्लम सर्वे प्रोफाइल एवं हाउस होल्ड पावर्टी सर्वे प्रोफाइल तथा लाइवलीहुड सर्वे प्रोफाइल को सर्वेक्षित करने का कार्य प्रारम्भ करें तथा उसकी हार्डकापी ऑनलाइन डेटाफिडिंग हेतु अपट्रान के प्रतिनिधि को उपलब्ध करायें साथ ही इसकी सूचना सूडा मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व वर्षों में प्रश्नगत कार्य शुरू किये जाने हेतु स्लम सर्वे मद में जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों से **उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है।** जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–सम्बन्धित सूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सघन मानीटरिंग की जा रही है तथा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये गये। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो

पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित् कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित् करते हुय तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

- कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि तत्काल समस्त स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित् करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। स्वीकृत परियोजनाओं पर निर्धारित समय–सीमा में वर्तमान शीत ऋतु से पूर्व प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। यदि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरती गयी तो कार्यदायी संस्था एवं एन0यू0एल0एम0 अंतर्गत चयनित शहर के अधिकारी उत्तरदायी होगें।

- शहरी बेघरों की स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में समस्त परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जारी कार्यवृत्त में स्वीकृति के समय लगायी गयी शर्तों को अनुपालन तत्काल सुनिश्चित् किया जाय।

- शहरी बेघरों की स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में पुनः निर्देशित किया गया कि स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि तत्काल कार्यदायी संस्था को अवगुक्त की जाय तथा एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्ण कर तेजी से गुणवत्तापरक निर्माण कार्य कराया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय अन्यथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

- शहरी बेघरों के सर्वेक्षण हेतु समस्त चयनित शहरों को सर्वेक्षण का प्रारूप प्रेषित कर इसकी सूचना सूडा को शीर्ष वरीयता पर उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय शहरों को छोड़कर अभी तक निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षण की सूचना सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए समस्त चयिनत शहरों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 20 मई, 2015 से पूर्व सूचना प्रेषित कर दी जाय अन्यथा संबंधित पटल सूचना न प्रेषित करने वाले शहरों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय। संबंधित शहरों को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ–पत्र दाखिल किया जाना है, अतः जिस शहर द्वारा 20 मई, 2015 के पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सही सूचना सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, ऐसे शहरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। **परियोजना अधिकारी एवं शहर परियोजना परियोजना अधिकारी को निर्देश है कि सूचना प्रेषण के उपरान्त सूडा से इसकी प्राप्ति की सूचना भी सुनिश्चित् करें।**

- कार्यदायी संस्था एवं उपस्थित परियोजना अधिकारियों एवं शहर परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है वे तत्काल कार्यवाही कर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी प्रगति से भी इस कार्यालय को पाक्षिक अवगत कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न की जाये।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेताओं की पंजीकृत सूची अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- अभिनव एवं विशेष परियोजनायें (Innovative & Special Projects) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों (आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एवं कानपुर नगर को छोड़ कर) द्वारा अभी तक परियोजना न प्रेषित करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिन के अन्दर परियोजना भेजना सुनिश्चित् करें।

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 प्रारम्भ हो चुका है एवं एन0यू0एल0एम0 के इस उपघटक की गत वित्तीय वर्ष में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। समस्त संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूहों ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय।

- समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण बैंकवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई–मेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- जिन शहरों हेतु सी0एल0सी0 स्वीकृत कर धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, उन शहरों को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल सी0एल0सी0 का विधिवत शुभारम्भ कराते हुये निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत आख्या तत्काल उपलब्ध करायें।

- एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत समस्त चयिनत शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अभी तक बैंक में खाता नहीं खोला गया है तत्काल ऐसे शहर बैंक में खाता खुलवा कर सूडा के लेखा पटल को अवगत कराना सुनिश्चित् करें।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0) के संबंध में संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015–16 में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्थाओं का चयन निविदा के माध्यम से किया जाना है। अतः सभी शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन निविदा के माध्यम से संस्थाओं के चयन होने तक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर0एस0ई0टी0आई0) के माध्यम से शीघ्रता से प्रारम्भ किया जाय।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में जनपद बरेली, गौतमबुद्धनगर एवं झांसी जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये। जनपद कासगंज के परियोजना अधिकारी अवगत कराया गया कि जिन संस्थाओं के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज थी, में से कतिपय संस्थाओं के संबंध में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी है। परियोजना अधिकारी को पुनः निर्देशित किया गया कि इस संबंध में पूर्ण विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

<u>स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना</u>

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, के संबंध में पूर्व की बैठकों में भी तत्काल

मुख्यालय आकर मिलान करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। किन्तु समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जनपदों में योजनान्तर्गत या तो धनराशि अवशेष है या उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है। इस संबंध में लेखा विभाग को निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद जहाँ पर योजनान्तर्गत धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है, का मिलान तिथि निर्धारित कर अवश्य करालें।

- जनपद शाहजहांपुर के परियोजना अधिकारी को प्लेसमेन्ट शून्य होने के संबंध में असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अन्दर संबंधित संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- समस्त परियोजना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षित लाभार्थियों का पूर्ण विवरण सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु हार्ड एवं साफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाय।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- योजना की समीक्षा करने पर तथ्य संज्ञान में आया कि कतिपय जनपदों द्वारा अभी भी कई स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है यद्यपि जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप गौतिक प्रगति उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ताकि शासन को द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।
- सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव प्रेषण से पूर्व कहां से कहां तक कार्य कराया जाना, का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- समस्त जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वहां की स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ संबंधित परियोजना की पत्रावली में संरक्षित की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपद –लखनऊ व वाराणसी के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण

पत्र कतिपय कारणों के कारण प्रेषित नहीं किये जा पा रहे है। संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कराये जाने वाले कार्यों का विवरण कारण सहित कार्यदायी संस्था के साथ मुख्यालय मे उपस्थित होना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

<u>एस0सी0एस0पी0</u>

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि **एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।**

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

<u>बैलेन्स शीट</u>

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जनपद श्रावस्ती, औरैया, चन्दौली, गोण्डा, ललितपुर एवं मरेठ द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –</u>

- समस्त जनपदों के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था का निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। गुणवत्ता यदि खराब पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें।
- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत् किया जाय, किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर इसका अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया जा रहा है। कड़े निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी

व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय-समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त सूडा)

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 652/110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 21/5/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
9. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
10. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, एन0यू0एल0एम0 शहर।
12. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
13. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक